रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229196
CG-DL-E-24082021-229196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3169]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943
No. 3169]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3458(अ).—17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कृत्य नियम, 2006 (इसके पश्चात जो उक्त नियम कहलाए) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा श्री संजय कुमार यादव, कार्यकारी निदेशक (ट्रेक्शन और ईएंडएम), जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) को इस अधिसूचना की तारीख से जेएमआरसीएल में उनके कार्यकाल के समाप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त नियम में उल्लिखित अर्हताओं और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जेएमआरसीएल के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है। श्री संजय कुमार यादव को श्री जी. एस. भावरिया, पूर्ववर्ती कार्यकारी निदेशक (प्रचालन), जेएमआरसीएल के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, जेएमआरसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा अथवा जेएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन/जेएमआरसीएल से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाए कि जेएमआरसीएल के उपर्युक्त अधिकारी किसी भी वैद्युत कार्य अथवा अधिष्ठापन, जिसका निष्पादन अथवा रख-रखाव करना उनका दायित्व है, के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं.-42/8/2021-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3458(E).— in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, powers and functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Sh. Sanjay Kumar Yadav, Executive Director (Traction and E&M), JMRCL as Chief Electrical Inspector for Jaipur Metro Rail Corporation Ltd (JMRCL), from the date of this Notification till his tenure in JMRCL or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualifications and conditions as mentioned in the said Rules. Sh. Sanjay Kumar Yadav will be appointed in place of Sh. G.S. Bhawaria, Erstwhile Executive Director (Operations), JMRCL.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the JMRCL or in respect of works and electrical installations under the control of JMRCL/belonging to JMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that the above-mentioned officer of JMRCL does not function as the Chief Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is his responsibility.

The person appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/8/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.24 16:15:45 +05'30'